FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

उनवान *तहसीलदार बनाम संस्थान वनस्थली विद्यापीठ* किस्म मुकदमा : प्रा0पत्र 136

मुकदमा नम्बर 650/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.12.2025	आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय रिपोर्ट एवं सम्बन्धित दस्तावेजात के तहसीलदार निवाई की ओर से प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार की बहस सूनी गई। पेरोकार सरकार ने अपने प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 180 में खातेदार धर्मकिशोर पुत्र दीनदयाल हिस्सा 11/30 कोम मीना सा0 वनस्थली विद्यापीठ खातेदार के बजाय संस्थान बनस्थली विद्यापीठ हिस्सा 11/30 खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया। प्रार्थी के आवेदन का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 180 में खातेदार धर्मकिशोर पुत्र दीनदयाल हिस्सा 11/30 कोम मीना सा0 वनस्थली विद्यापीठ खातेदार के बजाय संस्थान बनस्थली विद्यापीठ हिस्सा 11/30 खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया है। जिस पर पटवार हल्का बनस्थली, भू.अ.नि. बनस्थली एवं तहसीलदार निवाई द्वारा अभिशंषित रिपोर्ट भिजवाई गई है। एवं पेरोकार सरकार द्वारा भी दौराने बहस रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार जमाबन्दी में शुद्धी किये जाने का निवेदन किया है। अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार निवाई/पटवार हल्का बनस्थली एवं भू.अ. नि. बनस्थली की रिपोर्ट के आलोक में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उपर्यूक्त वर्णित भूमि जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 180 में खातेदार धर्मकिशोर पुत्र दीनदयाल हिस्सा 11/30 कोम मीना सा0 वनस्थली विद्यापीठ खातेदार के बजाय **संस्थान बनस्थली विद्यापीठ हिस्सा 11/30** खातेदार शुद्ध किया जाकर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई(टोंक)	